10 COURT FEE १० भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

FEE INDIA रुपये FIVE RUPEES

171

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक :२००८ निगरानी 1364-III/08

जन्मेजय आक्सीजन एसेटिलिन प्रायवेट लिमिटेड

डायरेक्टर -

१- रमेश जैन पिता सागरमलजी जैन आयु ४५ वर्ष डायरेक्टर -जन्मेजय आक्सीजन एसेटलीन - प्रायवेट लिमिटेड बिरलाग्राम नागदा - निवासी २५, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग नागदा - तहसील नागदा जिला उज्जैन

२- चन्द्रशेखर जैन पिता सुन्दरलालजी जैन आयु ४२ वर्ष निवासी ४० जवाहरमार्ग नागदा तहसील नागदा जिला उज्जैन ------आवेदकगण

श्री ... द्वारा ... 23/XI/08

विरूद्ध

प्रेमचन्द श्रीवास्तव पिता कैलाशचन्द्र निवासी बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन

बी-७३ ----अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू०राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय एस०डी०ओ० महोदय नागदा द्वारा पारित आदेश दिनांक ७-६-२००८ प्रकरण क्रमांक २५६ |बी-१२१ |०७-०८ से असन्तुष्ट एवम दु:खित होकर निम्नलिखित कारणों के आधार पर - पुनरीक्षण आवेदन अन्दर अवधि प्रस्तुत करते हैं :-

१:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय का आदेश जेर निगरानी विधि एवम विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

२:- यह कि अधीनस्थ योग्य न्यायालय ने आवेदक की सुनवाई का

XXIX(a)-BR(H)-11

(171)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-1364-तीन/08 **जिला** - उज्जैन

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर ,से अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27·3·19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	